डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. हिम्मतसिंह पुत्र चंदनसिंह 2. भरतकंवर पत्नी स्व. उमरावसिंह 3. अभिराज जोधा पुत्री स्व. उमरावसिंह 4. लक्षितराज जोधा पुत्री स्व. उमरावसिंह जातियान– राजपूत, निवासीगण– बांजाकुड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर(राज०)		1. राधेश्याम के कायम मुकाम 1/1. अल्का पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम 1/2. महेश पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम 1/3. नयना पुत्री स्वर्गीय राधेश्याम 1/4. आकाश पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम जातियान– ब्राह्मण, निवासीगण– हाउस नम्बर 1212, पोस्ट ऑफिस मार्ग सिद्धार्थ नगर, अम्बरनाथ ढाणे(महाराष्ट्र) पिन कोड 421501। 2. घनश्याम पुत्र गोपीकिशन के कायम मुकाम 2/1. पुष्पा दायमा पत्नी स्व. घनश्याम 2/2. कर्ण दायमा पुत्र स्व. घनश्याम दायमा जातियान– ब्राह्मण, निवासीगण– पी.के. एस. ए. अरूमुगम रोड़ शिकासी टाऊन, शिवकाजी तालुक विरधु नगर, डिस्टीक, तमिलनाडु। 3. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण जिला– ब्यावर। 4. पटवारी पटवार हल्का बांजाकुड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर। 5. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण, जिला– ब्यावर(राज०)

दावा बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तगर्त धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 संख्या :– 183/2016
निर्णय व डिक्री दिनांक :– 27.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए सरहद मौजा बांजाकुड़ी, पटवार हल्का बांजाकुड़ी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांजाकुड़ी, तहसील जैतारण जिला ब्यावर, राजस्थान की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 148/1075 रकबा 11–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 148/1076 रकबा 00–11 बीघा किस्म गै0मु0

(रविप्रकाश RAS)

रा कुल रकबा 12–06 बीघा के भू अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"राधेश्याम, घनश्याम पि. गोपीकिशन कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार"*** विलोपित करते हुये वादी संख्या एक ***"हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह को 1/2 हिस्से"*** का तथा शेष 1/2 हिस्से में ***"वादी संख्या 2 श्रीमति भरत कंवर पत्नी स्व. उमरावसिंह को 1/6 हिस्से का, वादी संख्या 3 अभिराज जोधा पुत्री स्व. उमरावसिंह को 1/6 हिस्से का व वादी संख्या 4 लक्षितराज जोधा पुत्री स्व. उमरावसिंह को 1/6 हिस्से का"*** की वादग्रस्त आराजी के खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता हैं कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें न ही करावें। तहसीलदार जैतारण का निर्देशित किया जाता है कि इसी मुताबिक वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में अमल दरामद करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27.03.2025 को सरे ईजलास जारी किया गया ।

सहायक (कलेक्टर) एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मोहर

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	08-00	स्टाम्प वकालतनामा	06-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	11-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः–	20-00	मिजानः–	07-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।